

त पहले हुई थी शादी, चार
ने का बेटा छोड़ गए पीछे

शे घंटे पहले ही रिश्तेदार से हुई थी
रिश्तेदार रंजीत सिंह ने बताया कि
संघ से घटना से करीब दो घंटे पहले ही
थी। किसी को अंदेशा नहीं था कि यह
री बातचीत होगी। दो दिन पहले ही वह
ए घर से निकले थे। परिवार ने बताया
प की शादी दो वर्ष पहले हुई थी।
भी हैं। स्वराजदीप एक होनहार और
लट थे। उन्हें 300 घंटे से अधिक
मुमव था। परिजनों के अनुसार,
संघ का पार्थिव शरीर उनके अमृतसर
पर लाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन
अं अंतिम संस्कार किया जाएगा।

प्रति नियमित या समय से
नहीं मिल रही है तो कृपया
टोल फ्री नंबर या ई-मेल के
माध्यम से हमें बताएं। हम
शीघ्र ही उसे समय से
पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने
के लिए संपर्क करें

1800 121 1166

सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com



फेस वाश + साबुन + क्रीम

झुरियां

काले घेरे

छाईया

www.wellncare.com

9896277535 & 9896134500

सम्पूर्ण कॉस्मेटिक रेंज। हर प्रमुख दवा विक्रेता के यहां उपलब्ध



खरीदारी के लिए
कोड स्कैन करें

खबर

INSTITUTE

02
h@gmail.com

ication. Model-

ication Model-
ufacture/Direct
al firm only) for

rtal only in two
eM Portal with
s.

ie Gem portal
in, for reference

er in part or full

Director

बिबद्धता के लिए
प्रदेश, चंडीगढ़
9-22 के तहत
ावेदन आमंत्रित
सूचीबद्धता के
I सीमा क्रमशः
ए आवेदन नहीं

लिए आवश्यक
बिबद्धता संबंधी
II-IV के लिए
का अप्रतिदेय
3, चंडीगढ़ के
खाता संख्या
000628) में
इन सूचीबद्धता
बद्धता के लिए

त्यक दस्तावेजों
कारी अभियंता,
2026 को शाम
ब्राह्म।
जरी अभियंता
ग्रीजन नंबर 3
-16, चंडीगढ़

pnb

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

आस्ति वसुली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी)

एससीओ 60-61, प्रथम तल, बैंक स्टावर, सेक्टर 17-बी चंडीगढ़ - 160017, ईमेल : cs8214@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूति प्रणालताओं को ज्ञात प्रणाल की जानकारी : ज्ञात नहीं

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का निर्माण/भौतिक/सांकेतिक कच्चा जोकि, बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्बन्धित ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों से पंजाब नेशनल बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित कीमत एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम	संपत्ति/यों के मालिक (ओं)/ रेहनकर्ता (ओं) का नाम	अचल रेहन रखी संपत्ति/यों का ब्यौरा एवं स्वामी (यों)/ रेहनकर्ता का नाम	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) बकाया राशि सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत कच्चे की तिथि डी) सांकेतिक/भौतिक/निर्माण/कच्चे की प्रकृति	आरक्षित कीमत जमा धरोहर राशि (इएमडी) संवर्द्धित बोली राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	शाखा-अम्बाला रोड जगाधरी मेसर्स एक्सप्रेस डेस्ट्रीज, श्री विवेक भंडारी (सहभागी) पुत्र श्री ओम शरण भंडारी # बी-5/368, प्रोफेसर कलानी, जगाधरी, यमुना नगर-135001, श्री दक्ष पॉल (सहभागी) पुत्र श्री जय पॉल # डी/75-30/31 योगेश नगर टेलीफोन एक्सचेंज जगाधरी के पीछे, यमुनानगर-135001, श्री ओम शरण भंडारी (गारंटर) पुत्र श्री शाम सुन्दर भंडारी # बी-5/368, प्रोफेसर कलानी, जगाधरी, यमुना नगर-135001	श्री ओम शरण भंडारी पुत्र श्री शाम सुन्दर भंडारी	जमाबंदी वर्ष 2018-2019 हेतु, रपट सं.-2587 दिनांक 26.02.2018 द्वारा पाननबी के पक्ष में म्यूटेड (परिवर्तित) और सब रजिस्टार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत श्री ओम शरण भंडारी पुत्र श्री शाम सुन्दर भंडारी के नाम में बिक्री विलेख सं.-4970 दिनांक 21.09.1990 द्वारा खरीदी गई, म्यूटेसन सं.-3427 के साथ पठित वर्ष 2018-2019 हेतु जमाबंदी के अनुसार यमुनानगर जगाधरी की एमसी सीमा में अब प्रोफेसर कलानी के तौर पर ज्ञात मौजा गोविंदपुरी एचबी सं.-414 में स्थित खेत सं.-72/63 खतोनी सं.-165, खसरा सं.-462(3-9) में शामिल 03बी-09बी भूमि माप में से 6/115 भाग के तौर पर 180 वर्ग गज अर्थात 00बी-03बी-12बी माप का प्लॉट सं.-10 पर निर्मित सम्पत्ति आईडी -214C934U67 नया सम्पत्ति आईडी सं.-1KR2KBV2 द्वारा सम्पत्ति/आवासीय घर के सभी जरूरी भाग। सीमाएं-पूर्व-30' सड़क, पश्चिम-30' श्री सेठी एवं कुश का मकान, उत्तर-54' प्लॉट/घर सं.-11, श्री गौरव कपूर, दक्षिण-54' प्लॉट/घर सं.-09-श्री गम्भीर।	ए) 13(2) की तिथि : 05.09.2022 बी) 51,43,769.58 रु. 31.07.2022 सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत कच्चे की तिथि : 01.08.2022 से भावी व्याज के साथ + खर्च, यदि वसूली है तो घटा (-) कर, पूर्ण भुगतान तक। डी) 13(4) की तिथि : 22.11.2022, (डी) कच्चे की प्रकृति : सांकेतिक	आरपी : Rs. 68,57,460/- इएमडी : Rs. 6,85,746/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 50,000/-	20.03.2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे
2.	शाखा:- एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ मेसर्स देस राज राइस मिल 1. श्री रवि पुत्र देस राज राइस, पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 2. श्री सतीश पुत्र श्री देस राज, पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर और गारंटर: 1. श्री गुरबचन पुत्र श्री सदा राम पता: बी-एड पीओ छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 2. श्री हरि चंद पुत्र श्री सदा राम (गारंटर) पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 3. श्रीमती. सवित्री देवी पत्नी श्री महेंद्र पाल सिंह (स्वर्गीय महेंद्र पाल पुत्र सदा राम का कानूनी उत्तराधिकारी) पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 4. श्री अंशुल कुमार पुत्र श्री महेंद्र पाल सिंह (स्वर्गीय महेंद्र पाल पुत्र सदा राम का कानूनी उत्तराधिकारी) पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 5. श्री सदीप कुमार पुत्र श्री महेंद्र पाल सिंह (स्वर्गीय महेंद्र पाल का कानूनी उत्तराधिकारी) पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर। 6. श्रीमती मोनिका पत्नी श्री रविंदर सिंह (स्वर्गीय महेंद्र पाल पुत्र सदा राम का कानूनी उत्तराधिकारी) पता: गाँव और डाकखाना छप्पर धाना, जिला यमुनानगर	श्री देस राज पुत्र श्री सदा राम	सब तहसील मुस्तफाबाद के साथ विधिवत पंजीकृत पंजाब नेशनल बैंक, शाखा छप्पर धाना के पक्ष में रेहन डीड सं. 745 दिनांक 9-8-2007 तथा रपट सं. 924 दिनांक 11-8-2007 द्वारा श्री देस राज पुत्र श्री सदा राम के नाम में म्यूटेसन सं. 1398 तथा जमाबंदी वर्ष 2000-2001 के अनुसार गाँव भंबोली एच.बी.सं. 435; सब तहसील सरस्वती नगरी, तहसील जगाधरी जिला यमुना नगर में 20 कनाल 16 मरला माप की राईस मिल की भूमि एवं भवन के सभी जरूरी भाग। जिसका माप एवं सीमाएं निम्न अनुसार हैं:- उत्तर- 66'-202'+155' अशोक कुमार की कृषि भूमि, दक्षिण- 428' रास्ता तथा अन्य की कृषि भूमि, पूर्व- 38'+228' पूरण सिंह की कृषि भूमि, पश्चिम- 93'+228' अमदी गाँव भम्बोली। नोट: वर्ष 2020-2021 के लिए जमाबंदी में टिप्पणी अनुसार संपत्ति रपट सं. 126 दिनांक 23.11.2020 द्वारा 9.80 करोड़ रुपये के लिए डीएफएससी के पास डिक्री रखी गई थी। फिर भी बैंक बतौर प्रत्याभूत ऋणदाता, के पास सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति पर प्रभार की प्राथमिकता है।	ए) 13 (2) की तिथि 25.07.2018 बी) 72,89,432.45 रु. के साथ 01.04.2018 से भावी व्याज जमा खर्च, यदि कोई वसूली है तो घटाकर, पूर्ण भुगतान तक (सी) 13(4) की तिथि 08.11.2019 (डी) कच्चे की प्रकृति - सांकेतिक	आरपी : Rs. 1,53,90,000/- इएमडी : Rs. 15,39,000/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 1,00,000/-	20.03.2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे

नोट : सभी अचल संपत्ति हेतु संपर्क व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीश लाल, एआरएमबी, चंडीगढ़, मोबाईल नं. : 7527842020 ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें :-

बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:-

(1) सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है आधार" "जैसे है जो है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहां है आधार" पर की जाएगी।

(2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विक्रय प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।

(3) नीलामी बिक्री ई-ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।

(4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in पर जाएं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 24.02.2026

स्थान : चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़

Amar Ujala Date: 25.02.2026